स्पीड पोस्ट

भारत के उप -राष्ट्रपति का सचिवालय

SECRETARIAT OF THE VICE- PRESIDENT OF INDIA

नई दिल्ली -110011 (भारत)

NEW DELHI – 110011 (INDIA)

TEL.: 011-23016344

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/अपील/2023 07 दिसंबर, 2023

आदेश

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आपका दिनांक 01.12.2023 की आर.टी.आई. अपील आवेदन पत्र जो की इस सचिवालय के आर.टी.आई. अनुभाग में दिनांक 02.12.2023 प्राप्त हुआ है। जिसमें आप ने कहा है कि आप केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से संतुष्ट एवं सहमत नहीं हैं।
2. इस सचिवालय के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 11.10.2023 को सूचित किया था की जो सूचना, सूचना का अधिकार के अंतर्गत आवेदक द्वारा मांगी गई थी कि आरटीआई माध्यम से शिकायत दर्ज करना और/या संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण से संबंधित आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 2 (एफ) के तहत परिभाषित जानकारी के अलावा अन्य विवरण मांगना आरटीआई के दायरे में नहीं आता है तथा आप की आरटीआई को बिना किसी कार्यवाही के निरस्त कर दिया गया था।
3. सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आपके द्वारा आर॰टी॰आई॰ आवेदन तथा तत्पश्चात दायर अपील में कोई भी विशेष सूचना, जो इस सचिवालय से संबन्धित हो, नहीं मांगी गई है। अतः आपकी वर्तमान अपील का यही निपटान किया जाता है तथा इस पर आगे कार्रवाई कि परिकल्पना नहीं की जाती।
4. आपको परामर्श है कि आप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपनी प्रथम अपील संबन्धित राज्य/विभाग/प्राधिकरण को सीधे प्रेषित करें ।

धन्यवाद,

भवदीय,

(अभ्युदय सिंह शेखावत)
प्रथम अपील प्राधिकारी

श्री वीरपाल उर्फ बॉबी
19/150, सैक्टर-5, डॉ. अंबेडकर नगर,
नई दिल्ली-110062

स्पीड पोस्ट

भारत के उप -राष्ट्रपति का सचिवालय

SECRETARIAT OF THE VICE- PRESIDENT OF INDIA

नई दिल्ली -110011 (भारत)

NEW DELHI – 110011 (INDIA)

TEL.: 011-23016344

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/अपील/2023 07 दिसंबर, 2023

आदेश

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आपका दिनांक 01.12.2023 की आर.टी.आई. अपील आवेदन पत्र जो की इस सचिवालय के आर.टी.आई. अनुभाग में दिनांक 02.12.2023 प्राप्त हुआ है। जिसमें आप ने कहा है कि आप केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से संतुष्ट एवं सहमत नहीं हैं।
2. इस सचिवालय के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 11.10.2023 को सूचित किया था की जो सूचना, सूचना का अधिकार के अंतर्गत आवेदक द्वारा मांगी गई थी कि आरटीआई माध्यम से शिकायत दर्ज करना और/या संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण से संबंधित आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 2 (एफ) के तहत परिभाषित जानकारी के अलावा अन्य विवरण मांगना आरटीआई के दायरे में नहीं आता है तथा आप की आरटीआई को बिना किसी कार्यवाही के निरस्त कर दिया गया था।
3. सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आपके द्वारा आर॰टी॰आई॰ आवेदन तथा तत्पश्चात दायर अपील में कोई भी विशेष सूचना, जो इस सचिवालय से संबन्धित हो, नहीं मांगी गई है। अतः आपकी वर्तमान अपील का यही निपटान किया जाता है तथा इस पर आगे कार्रवाई कि परिकल्पना नहीं की जाती।
4. आपको परामर्श है कि आप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपनी प्रथम अपील संबन्धित राज्य/विभाग/प्राधिकरण को सीधे प्रेषित करें ।

धन्यवाद,

भवदीय,

(अभ्युदय सिंह शेखावत)
प्रथम अपील प्राधिकारी

श्री वीरपाल उर्फ बॉबी
19/150, सैक्टर-5, डॉ. अंबेडकर नगर,
नई दिल्ली-110062

दिनांक: 03/10/2023

सेवा में,
श्रीमान जन सूचना अधिकारी जी
माननीय उपराष्ट्रपति महोदय
भारत सरकार,
नई दिल्ली

विषय: जन सूचना अधिकार नियम 2005 के तहत निम्नलिखित जानकारी हेतु प्रार्थना पत्र।

1. राम मंदिर के विषय पर मुझे पाकिस्तान जबाब देगा? या भारत देश जबाब देगा? माननीय मुख्य न्यायधीश सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से मुझे जबाब चाहिए राम मंदिर के विषय पर, मैं भारतीय शोधकर्ता वीरपाल उर्फ बॉबी माननीय मुख्य न्यायधीश सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को खुली चुनौती दे रहा हूँ।
2. क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माननीय मुख्य न्यायधीश, सभी न्यायधीश एवं भारत के राष्ट्रपति, माननीय उपराष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार,. एवं इसरो के सभी वैज्ञानिक और पूरे संसार के वैज्ञानिक पढने लिखने के बाद भी विज्ञान के इस युग में अनपढ़ हैं? बेबकूफ है? या जाहिल है, माननीय मुख्य न्यायधीश सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से जबाब चाहिए।
3. राम मंदिर का विषय आर0टी0आई0 एक्ट में नही आता, मेरी आर0टी0आई0 का यही जबाब मुझे माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से मिला है। मैं भारतीय शोधकर्ता माननीय मुख्य न्यायधीश सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से पूछना चाहता हूँ कि मुझे राम मंदिर के विषय में कौन सूचना देगा। राम मंदिर के विषय मे मुझे सुप्रीम कोर्ट से जानकारी मिलेगी? या मुझे ये जानकारी पाकिस्तान के सुप्रीम कोट से मिलेगी? माननीय मुख्य न्यायधीश सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से जबाब चाहिए।
4. राम मंदिर को बनाने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किस आधार पर दिया? क्या राम ईश्वर थे? अल्लाह थे?, गॉड थे, या परमेश्वर थे। बाल्मीकि रामायण किसी भी पृष्ठ पर बाल्मीकि ने राम को ईश्वर नही बोला तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भारत देश के धर्म गुरूओं को किसी आधार पर राम मंदिर को बनाने के आदेश पारित किये? यदि आपके होते हुए भारत देश में ये धर्मगुरू

अंधविश्वास, पाखंडवाद फैला रहे हैं तो इसके दोषी ये लोग नही हैं, इसके दोषी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सभी न्यायधीश, भारत देश के राष्ट्रपति, माननीय उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, इसरो के वैज्ञानिक है। मैं भारतीय शोधकर्ता, माननीय मुख्य न्यायधीश सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सभी न्यायधीशों को, सभी धर्मगुरूओं को, इसरो के सभी वैज्ञानिकों को खुली चुनौती दे रहा हूँ कि क्या आप लोग विज्ञान के इस युग में भी पढने लिखने के बाद भी अनपढ़ हो, बेबकूफ हो, जाहिल हो। माननीय मुख्य न्यायधीश सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से राम मंदिर के विषय पर जबाब चाहिए।

5. राम मंदिर को बनाने का फैसला भारत देश के सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था या पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था? माननीय मुख्य न्यायधीश सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से जबाब चाहिए।

6. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जन सूचना अधिकारी से राम मंदिर के विषय पर मेरे द्वारा पूछी गयी जानकारी में मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जन सूचना अधिकारी की तरफ से ये जबाब मिला है कि राम मंदिर के विषय में पूछी गयी जानकारी आर0टी0आई0 एक्ट में नही आती इसलिए मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मुख्य न्यायधीश से ये जानकारी मांग रहा हूँ कि राम मंदिर भारत में है या पाकिस्तान में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से जबाब चाहिए।

7. क्या भारत के राष्ट्रपति, माननीय उपराष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार विज्ञान के इस युग में अनपढ़ हैं? बेबकूफ है? या जाहिल है।

8. भारत देश के और पूरे संसार के सभी धर्मगुरूओं से और आप सभी से मेरे ये सवाल हैं कि ईश्वर कौन है? अल्लाह कौन है, गॉड कौन है? परमेश्वर कौन है और ये सभी हमारे सौर मंडल में, यूनिवर्स में कौन से ग्रह पर रहते हैं? भारत देश के सभी धर्म गुरूओं को और आप सभी को उस ग्रह के नाम बताने हैं जिस ग्रह पर अल्लाह, ईश्वर, गॉड, परमेश्वर रहते हैं। क्या अल्लाह, ईश्वर, गॉड, परमेश्वर की जानकारी माननीय मुख्य न्यायधीश सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है?

9. क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मुख्य न्यायधीश आत्मा के बारे मे जानते हैं? यदि आपके अनुसार आत्मा होती है तो इंसान के मरने के बाद उस मरने वाले इंसान की आत्मा, हमारे सौर मंडल में, या मल्टीवर्स में कौन से ग्रह पर जाती है?

अवर सचिव
UNDER SECRETARY

सत्यमेव जयते

उपराष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT SECRETARIAT
नई दिल्ली / NEW DELHI-110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX : 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/1-आरटीआई/50/2023-2024 **11 अक्टूबर, 2023**

सेवा में,

श्री वीरपाल उर्फ बॉबी
19/150, सैक्टर-5, डॉ॰ अम्बेडकर नगर,
नई दिल्ली-110062

विषयः- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना हेतु।

महोदय,

कृपया उक्त विषय में आपका दिनांक 29.09.2023 का आर टी आई आवेदन पत्र इस सचिवालय में 05.10.2023 को प्राप्त हुआ है, जिनके साथ दस रूपये का पो॰आ॰सं॰ 57एफ़ 559740 संलग्न कर बिन्दुवार सूचना उपलब्ध करने हेतु निवेदन किया है।

इस विषय में आपको अवगत करना है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना का विषय इस सचिवालय से संबन्धित नहीं है। इस कारण यह सचिवालय आपको किसी भी प्रकार की जानकारी/सूचना दे पाने में असमर्थ है।

उपरोक्त के आलोक में, यह सूचित किया जाता है कि आरटीआई माध्यम से शिकायत दर्ज करना और/या संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण से संबंधित आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 2 (एफ) के तहत परिभाषित जानकारी के अलावा अन्य विवरण मांगना आरटीआई के दायरे में नहीं आता है।

अतः आपको परामर्श है कि आप इस विषय में सीधे संबन्धित राज्य/मंत्रालय/विभाग से संपर्क करें।

राजेश

(राजेश कुमार शर्मा)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
rticell-vps@nic.in

VPSEC/R/P/23/00074

अवर सचिव
UNDER SECRETARY

सत्यमेव जयते

उपराष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT SECRETARIAT
नई दिल्ली / NEW DELHI-110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX : 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/1-आरटीआई/50/2023-2024 **11 अक्टूबर, 2023**

सेवा में,

श्री वीरपाल उर्फ बॉबी
19/150, सैक्टर-5, डॉ॰ अम्बेडकर नगर,
नई दिल्ली-110062

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना हेतु।

महोदय,

कृपया उक्त विषय में आपका दिनांक 29.09.2023 का आर टी आई आवेदन पत्र इस सचिवालय में 05.10.2023 को प्राप्त हुआ है, जिनके साथ दस रूपये का पो.आ.सं. 57एफ़ 559740 संलग्न कर बिन्दुवार सूचना उपलब्ध करने हेतु निवेदन किया है।

इस विषय में आपको अवगत करना है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना का विषय इस सचिवालय से संबन्धित नहीं है। इस कारण यह सचिवालय आपको किसी भी प्रकार की जानकारी/सूचना दे पाने में असमर्थ है।

उपरोक्त के आलोक में, यह सूचित किया जाता है कि आरटीआई माध्यम से शिकायत दर्ज करना और/या संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण से संबंधित आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 2 (एफ) के तहत परिभाषित जानकारी के अलावा अन्य विवरण मांगना आरटीआई के दायरे में नहीं आता है।

अतः आपको परामर्श है कि आप इस विषय में सीधे संबन्धित राज्य/मंत्रालय/विभाग से संपर्क करें।

(राजेश कुमार शर्मा)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
rticell-vps@nic.in

SPEED POST
13/10/23

Vice President's Secretariat
Dy. No. 367
Date 5/10/23
New Delhi

दिनांक: 03/10/2023

सेवा में,
श्रीमान जन सूचना अधिकारी जी
माननीय उपराष्ट्रपति महोदय
भारत सरकार,
नई दिल्ली

विषयः जन सूचना अधिकार नियम 2005 के तहत निम्नलिखित जानकारी हेतु प्रार्थना पत्र।

1. राम मंदिर के विषय पर मुझे पाकिस्तान जबाब देगा? या भारत देश जबाब देगा? माननीय मुख्य न्यायधीश सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से मुझे जबाब चाहिए राम मंदिर के विषय पर, मैं भारतीय शोधकर्ता वीरपाल उर्फ बॉबी माननीय मुख्य न्यायधीश सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को खुली चुनौती दे रहा हूँ।
2. क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माननीय मुख्य न्यायधीश, सभी न्यायधीश एवं भारत के राष्ट्रपति, माननीय उपराष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, एवं इसरो के सभी वैज्ञानिक और पूरे संसार के वैज्ञानिक पढने लिखने के बाद भी विज्ञान के इस युग में अनपढ़ हैं? बेबकूफ है? या ज़ाहिल है, माननीय मुख्य न्यायधीश सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से जबाब चाहिए।
3. राम मंदिर का विषय आर0टी0आई0 एक्ट में नही आता, मेरी आर0टी0आई0 का यही जबाब मुझे माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से मिला है। मैं भारतीय शोधकर्ता माननीय मुख्य न्यायधीश सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से पूछना चाहता हूँ कि मुझे राम मंदिर के विषय में कौन सूचना देगा। राम मंदिर के विषय मे मुझे सुप्रीम कोर्ट से जानकारी मिलेगी? या मुझे ये जानकारी पाकिस्तान के सुप्रीम कोट से मिलेगी? माननीय मुख्य न्यायधीश सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से जबाब चाहिए।

O/o PS to HVP
Diary No. 1361
Date 5/10/23
Vice President's Secretariat

4. राम मंदिर को बनाने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किस आधार पर दिया? क़्या राम ईश्वर थे? अल्लाह थे?, गॉड थे, या परमेश्वर थे। बाल्मीकि रामायण किसी भी पृष्ठ पर बाल्मीकि ने राम को ईश्वर नही बोला तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भारत देश के धर्म गुरूओं को किसी आधार पर राम मंदिर को बनाने के आदेश पारित किये? यदि आपके होते हुए भारत देश में ये धर्मगुरु

सेवा में

दिनांकः 01/12/2023

श्रीमान प्रथम अपीलीय
जनसूचना अधिकारी
माननीय उपराष्ट्रपति निवास
नई दिल्ली–110001

विषयः आर0टी0आई0 का जबाब न मिलने के सन्दर्भ में प्रथम अपील।

महोदय

दिनांक 3/10/2023 को एक आर0टी0आई0 आपके कार्यालय को भेजी थी जिसके साथ भारतीय पोस्टल आर्डर रू0 10/– का शुल्क भी अदा किया था लेकिन मुझे मेरे आर0टी0आई0 के तहत पूछे गये सवालों के संतुष्ट जबाब प्राप्त नही हुए तथा आर0टी0आई0 प्रार्थना पत्र संलग्न कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा पूछे गये सवालों के जबाब मुझे तय समय सीमा के अन्दर देने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगीं

राम मदिर के विषय पर मेरी आर0टी0आई0 का जबाब मुझे भारत सरकार से मिलेगा या पाकिस्तान सरकार से मिलेगा ? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माननीय चीफ जस्टिस से जानकारी जबाब चाहिए।

सादर धन्यवाद।

भवदीय

Virpal

भारतीय शोधकर्ता
वीरपाल उर्फ बॉबी
निवासी–19/150, सेक्टर–5
डॉ अम्बेडकर नगर
नई दिल्ली–110062
मो0 8595615036, 9773926657

नोटः **मैं भारतीय शोधकर्ता वीरपाल उर्फ बॉबी भारत देश के धर्म गुरूओं और वैज्ञानिकों से डीवेट में हार जाता हूँ तो मैं अपने लिये अन्तर्राष्ट्रीय कोर्ट से फांसी की अपील करूँगा।**

अंधविश्वास, पाखंडवाद फैला रहे हैं तो इसके दोषी ये लोग नही हैं, इसके दोषी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सभी न्यायधीश, भारत देश के राष्ट्रपति, माननीय उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, इसरो के वैज्ञानिक है। मैं भारतीय शोधकर्ता, माननीय मुख्य न्यायधीश सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सभी न्यायधीशों को, सभी धर्मगुरूओं को, इसरो के सभी वैज्ञानिकों को खुली चुनौती दे रहा हूँ कि क्या आप लोग विज्ञान के इस युग में भी पढने लिखने के बाद भी अनपढ़ हो, बेबकूफ हो, जाहिल हो। माननीय मुख्य न्यायधीश सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से राम मंदिर के विषय पर जबाब चाहिए।

5. राम मंदिर को बनाने का फैसला भारत देश के सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था या पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था? माननीय मुख्य न्यायधीश सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से जबाब चाहिए।

6. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जन सूचना अधिकारी से राम मंदिर के विषय पर मेरे द्वारा पूछी गयी जानकारी में मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जन सूचना अधिकारी की तरफ से ये जबाब मिला है कि राम मंदिर के विषय में पूछी गयी जानकारी आर0टी0आई0 एक्ट में नही आती इसलिए मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मुख्य न्यायधीश से ये जानकारी मांग रहा हूँ कि राम मंदिर भारत में है या पाकिस्तान में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से जबाब चाहिए।

7. क्या भारत के राष्ट्रपति, माननीय उपराष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार विज्ञान के इस युग में अनपढ़ हैं? बेबकूफ है? या जाहिल है।

8. भारत देश के और पूरे संसार के सभी धर्मगुरूओं से और आप सभी से मेरे ये सवाल हैं कि ईश्वर कौन है? अल्लाह कौन है, गॉड कौन है? परमेश्वर कौन है और ये सभी हमारे सौर मंडल में, यूनिवर्स में कौन से ग्रह पर रहते हैं? भारत देश के सभी धर्म गुरूओं को और आप सभी को उस ग्रह के नाम बताने हैं जिस ग्रह पर अल्लाह, ईश्वर, गॉड, परमेश्वर रहते हैं। क्या अल्लाह, ईश्वर, गॉड, परमेश्वर की जानकारी माननीय मुख्य न्यायधीश सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है?

9. क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मुख्य न्यायधीश आत्मा के बारे मे जानते हैं? यदि आपके अनुसार आत्मा होती है तो इंसान के मरने के बाद उस मरने वाले इंसान की आत्मा, हमारे सौर मंडल में, या मल्टीवर्स में कौन से ग्रह पर जाती है?

आप सभी को उस ग्रह का नाम बताना है जिस ग्रह पर आत्मा जाती है। मैं भारतीय शोधकर्ता माननीय राष्ट्रपति, माननीय उपराष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार एवं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माननीय मुख्य न्यायधीश एवं भारत के सभी न्यायधीशों एवं पूरे संसार के सभी धर्म गुरूओं, एवं इसरो के सभी वैज्ञानिकों को खुली चुनौती दे रहा हूँ और यह दावा भी कर रहा हूँ कि आप भी विज्ञान के इस युग में पढने लिखने के बाद भी अनपढ, बेबकूफ और जाहिल हो। मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माननीय मुख्य न्यायधीश से जबाब चाहिए।

नोटः— मैं भारतीय शोधकर्ता वीरपाल उर्फ बॉबी राम मंदिर के विषय पर अल्लाह, ईश्वर, गॉड एवं परमेश्वर के विषय पर भारत देश के धर्म गुरूओं से, पूरे संसार के धर्म गुरूओं से और भारत देश के इसरो के समस्त वैज्ञानिकों से यदि मैं डिबेट में हार जाता हूँ तो मैं अपने लिये अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय से फांसी की अपलील करूँगा।

श्रीमान जी मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा पूछे गये सभी सवालों के जवाब जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत तय समय सीमा में मेरी मात्रभाषा हिन्दी में देने की कृपा करेंगे।

सादर धन्यवाद।

आर0टी0आई0 शुल्क के रूप में भारतीय पोस्टल आर्डर नं0 57F 559740
दिनांक 29/9/2023 10/— अदा करता हूँ।

भवदीय

Virpal

भारतीय शोधकर्ता
वीरपाल उर्फ बॉबी
निवासी—19/150, सेक्टर—5
डॉ अम्बेडकर नगर
नई दिल्ली—110062
मो0 8595615036, 9773926657